रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2009/माघ 8, 1930

No. 206] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2009/MAGHA 8, 1930

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2009

का.आ. 363(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (इसके बाद जे पी एम अधिनियम के रूप में उल्लेख किया जाएगा) की धारा 3 के प्रावधानों के तहत दिनांक 1 सितम्बर, 2008 को जारी आदेश संख्या का.आ. 2143(अ) (इसके बाद प्रमुख आदेश के रूप में उल्लेख किया जाएगा) के माध्यम से पटसन वर्ष 2008-09 के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में 100% पैकेजिंग के लिए खाद्यान्न और चीनी को आरक्षित किया है ।

2. और जबकि जे पी एम अधिनियम की धारा 16 (ए) के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार यदि इसका मत यह है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा तात्कालिक है, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह जो किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के वर्ग की आपूर्ति अथवा वितरण कर रहे हैं, को इस अधिनियम की धारा 3 के तहत दिए गए आदेश के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकती है ।

3. और जबकि यदि प्रमुख आदेश के खंड 6 के प्रावधानों के तहत, पटसन पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में कमी अथवा व्यवधान की स्थिति में, वस्त्र मंत्रालय उक्त आदेश के प्रावधानों से अधिकतम 20% तक छूट देने के लिए अधिकृत है ।

4. और जबकि पटसन उद्योग में प्रचालन करने वाली 18 ट्रेड यूनियनें 1 दिसम्बर, 2008 से पश्चिम बंगाल में स्थित पटसन मिलों में लगातार हड़ताल पर चली गईं जो 18-12-2008 तक चली, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में 52 पटसन मिलों में दिसम्बर, 2008 और जनवरी, 2009 के माह में उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था ।

5. और जबकि केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारतीय पटसन मिल संघ (आईजेएमए) के परामर्श से रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2009-10 के लिए खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए पटसन के थैलों की मांग और सरकारी खरीद एजेंसियों को आपूर्ति के मामले में पटसन उद्योग की सदृश आपूर्ति क्षमता और निष्पादन की समीक्षा की है ।

6. और जबकि भारत सरकार ने विचार किया है कि आर एम एस 2009-10 के लिए खरीद एजेंसियों द्वारा पैकिंग सामग्री की अनुमानित आवश्यकता 8.96 लाख गांठ है । हड़ताल शुरू होने से पटसन उद्योग द्वारा सरकारी एजेंसियों को 1 लाख गांठ प्रतिमाह तक आपूर्ति की गई है । इस प्रकार, सरकार का यह मत है कि यह स्पष्ट है कि यदि खाद्यान्न के लिए 100% आरक्षण जारी रखा जाता है तो वर्तमान परिस्थितियों में पटसन उद्योग रबी मौसम के लिए खरीद एजेंसियों की अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होगा ।

7. और जबकि खाद्य मंत्रालय द्वारा आकलन किया गया है कि एजेंसियों द्वारा रबी खरीद 15 मार्च, 2009 को शुरू किए जाने की संभावना है और इस प्रकार न्यूनतम 3.5 लाख गांठ थैलों को 28 फरवरी, 2009 तक भेज दिए जाने की आवश्यकता है जिसमें से पटसन उद्योग द्वारा केवल 1.5 गांठ तक आपूर्ति किए जाने की संभावना है ।

8. अब इसलिए केन्द्र सरकार का यह मत होने के कारण कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक अथवा तात्कालिक है और जे पी एम अधिनियम की धारा 16(1) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा राज्य सरकारों (और उनकी खरीद एजेंसियों) और भारतीय खाद्य निगम को रबी विपणन मौसम 2009-10 के लिए 2.00 लाख गांठ की कुल मात्रा तक इस मुख्य आदेश को लागू किए जाने (और इस प्रकार पटसन के अलावा सामग्री में खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए अनुमति देते हुए) से छूट प्रदान करती है ।

9. विभिन्न खरीद एजेंसियों को छूट प्रदान की गई मात्रा का आबंटन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा वस्त्र मंत्रालय को सूचित करते हुए किया जाए ।

10. यह छूट 31 मई, 2009 तक खाद्यान्न की खरीद और पैकिंग के लिए वैध रहेगी ।

11. इस छूट के किसी दुरुपयोग को रोकने के लिए, यह आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :–

(क) छूट प्रदान की गई एजेंसियां पटसन आयुक्त (जेसी) को विवरण प्रस्तुत करेंगी जिसमें 15 जून, 2009 तक इस छूट के आधार पर वैकल्पिक पैकिंग सामग्री की खरीद का ब्यौरा (पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में) होगा ।

(ख) खरीदी गई वैकल्पिक सामग्री बीआईएस और आईएलओ मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ।

(ग) थैलों की ब्रांडिंग (वैकल्पिक सामग्री की) डीजीएस एंड डी के निदेशों के अनुसार और लागू नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए तथा गुणवत्ता खाद्य मंत्रालय/आदेशकर्ता के निदेशों के अनुसार होनी चाहिए ।

[फा. सं. 9/8/2008-पटसन]

आर. के. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

(JUTE SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2009

S.O. 363(E).—Whereas, the Central Government *vide* Order No S.O. 2143(E) dated 1st September, 2008 (hereinafter referred to as the Principal Order) issued under the provisions of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use In Packing Commodities) Act, 1987 (hereinafter referred to as the JPM Act) reserved food-grain and sugar for 100% packaging in jute packaging material for the jute year 2008-2009.

2. And, whereas, under the provisions of Section 16(1) of the JPM Act, the Central Government, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, may exempt any person or class of persons, supplying or distributing any commodity or class of commodities, from the operation of an order made under Section 3 of the Act.

3. And, whereas, under the provisions of clause 6 of the Principal Order, in case of shortage and disruption of supply of jute packaging material, Ministry of Textiles is authorised to grant relaxation of the provisions of the said Order upto a maximum of 20%.

4. And, whereas, 18 Trade Unions operating in Jute Industry proceeded on a continuous strike in the jute mills located in West Bengal w.e.f. 1st December, 2008 which continued till 18-12-2008, on account of which, production in 52 Mills in West Bengal was adversely affected in the month of December, 2008 as well as January, 2009.

5. And, whereas, the Central Government has reviewed the demand of Jute Bags for packing Foodgrains for Rabi Marketing Season (RMS) 2009-10 and the corresponding supply capacity and the performance of jute industry in respect of supply to the Government procurement agencies in consultation with Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution as well as Indian Jute Mills Association (IJMA).

6. And, whereas, the Government of India has considered that the estimated requirement of packing material by the procurement agencies for the RMS 2009-10 is 8.96 lakh bales. The supply to Government agencies by the Jute Industry since opening of the strike has been to the tune of 1 lakh bales per month. Thus, the Government is of the view that it is evident that under the current circumstances, .Jute industry may not be in a position to meet the estimated requirements of procurement agencies for the Rabi season if 100% reservation for foodgrain is continued.

7. And, whereas, it has been assessed by the Ministry of Food that the Rabi procurement by the agencies is likely to start on 15th March, 2009 and thus, a minimum of 3.5 lakh bales of bags are required to be dispatched by 28th February, 2009, of which, the Jute Industry is ltkely to supply only upto 1.5 lakh Bales.

8. Now, therefore, the Central Government being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, and in exercise of the powers under the provisions of Section 16(1) of the JPM Act, hereby exempts the State Governments (and their procurement agencies) and the Food Corporation of India from the operation of the Principal Order (and thus allowing for packaging foodgrains in material other than jute) upto the extent of a total quantity of 2.00 lakh Bales for the Rabi Marketing Season 2009-10. The proposed relaxation would be within the limit of 20% of the total procurements of food-grain made by such agencies for the current jute year, as prescribed under clause 6 of the Principal Order.

9. The allocation of the exempted quantity to the various procurement agencies would be done by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution under intimation to the Ministry of Textiles.

10. The exemption would be valid for procurement and packing of foodgrain made upto 31st May, 2009.

11. In order to prevent any misuse of this exemption, this order shall be subject to the following conditions—

(a) The exempted agencies shall furnish a return to the Jute Commissioner (JC) indicating the details of procurement of alternative packing material on the basis of this relaxation (in the format prescribed by the Jute Commissioner) by 15th June, 2009.

(b) Alternate packing material procured should be as per the BIS and ILO standards.

(c) Branding of the bags (of alternate material) should be strictly according to the directions of DGS&D and as per applicable rules and the quality shall be as per the directions of Ministry of Food/Indentor.

[F. No. 9/8/2008-Jute]

R. K. CHATURVEDI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054